	बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय	मानव संसाधन विभाग औद्योगिक संबंध प्रभाग
शाखा परिपत्र सं.: 115/217	विषय : मानव संसाधन/2021-22	
उप-विषय : स्टाफ संबंधी मामले (अवार्ड स्टाफ)		
संदर्भ : एचओ:एचआर:आईआर:बीडीसी: 14	दिनांक: 12.11.2021	

सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र

**अवार्ड स्टाफ को पेट्रोल (ईंधन) व्यय की प्रतिपूर्ति
- सीमाओं में संशोधन**

=====

अवार्ड स्टाफ सदस्यों को पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु योजना को शाखा परिपत्र सं. 109/93 दिनांक 14.07.2015 के माध्यम से आरंभ किया गया था। तत्पश्चात अवार्ड स्टाफ को पेट्रोल व्यय की प्रतिपूर्ति की सीमाओं पर पुनः विचार किया गया तथा दिनांक 21.01.2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के बाद 01.02.2020 से संशोधित सीमाएँ लागू की गई।


2. पिछले कुछ वर्षों से अवार्ड स्टाफ (लिपिक तथा अधीनस्थ स्टाफ) की बदलती भूमिका और पेट्रोल (अब से इसे ईंधन के रूप में संदर्भित किया जाए) की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक 29.10.2021 में प्रतिपूर्ति योग्य ईंधन की मात्रा (लीटर में) और घोषणा के आधार पर मौद्रिक सीमाओं को बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इस संबंध में बोर्ड ने प्रधान रोकड़िया को अलग श्रेणी में रखते हुए उनके लिए भी ईंधन की प्रतिपूर्ति की बढ़ी हुई सीमाएँ शुरू की हैं।

3. उपर्युक्त संशोधनों के साथ, अवार्ड स्टाफ के लिए प्रतिपूर्ति योग्य ईंधन की मात्रा और घोषणा के आधार पर मौद्रिक सीमाएँ निम्नलिखित होंगी :-

संवर्ग	प्रतिमाह ईंधन की सीमा (लीटर में)		घोषणा के आधार पर प्रति माह प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि (₹. में)	
	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
विशेष सहायक	14	20	875	900.00
प्रधान रोकड़िया	10	16	675	800.00
लिपिक		13		700.00
अधीनस्थ स्टाफ	7	9	475	500.00


4. ऊपर उल्लिखित संशोधित सीमाएँ दिनांक 01.11.2021 से लागू होंगी। अन्य सभी नियमों एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

5. कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों के ध्यान में लाएं।


(ए. के. पाठक)

महाप्रबंधक-मानव संसाधन



	Bank of India Head Office	Human Resources Department, Industrial Relations Division.
Branch Circular No.:115/217		Sub: Human Resources / 2021-22/
Sub-subject: Staff matters (Award Staff)		
Ref : HO:HR:IR:BDC: 4		Date : 12.11.2021

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES

**Reimbursement of Petrol (Fuel) Expenses to Award Staff
- Revision in limits**

The scheme for reimbursement of petrol expenses in case of Award Staff members was introduced vide Branch Circular No.109/93 dated 14.07.2015. The limits of reimbursement of petrol expenses to the members of the Award Staff were subsequently reconsidered and revised w.e.f 01.02.2020, by the Board in its meeting dated 21.01.2020.

2. Having regard to the evolving role of the Award Staff (Clerical and Subordinate Staff) over the years and also keeping in mind the steep hike in petrol (**to be referred to as fuel henceforth**) prices, the Board of Directors in its meeting held on 29.10.2021 has accorded approval for enhancement in the quantum of fuel (in litres) and the monetary limits reimbursable on declaration basis. The Board has also introduced higher limits for fuel reimbursement for the Head Cashiers treating them as a separate category in this regard.


3. With the said upward revision, the limits for the reimbursement of quantum of fuel and the monetary limits reimbursable on declaration basis for Award Staff members will be as under:

Cadre	Fuel limits per month (in litres)		Maximum amount reimbursable on declaration basis per month (Rs.)	
	Existing	Revised	Existing	Revised
Special Assistant	14	20	875	900.00
Head Cashier	10	16	675	800.00
Clerks		13		700.00
Sub-Staff	7	9	475	500.00

4. The above mentioned revised limits shall be effective from 01.11.2021. All other terms and conditions remain unchanged.

5. Please bring the contents of this Circular to the notice of all Staff members working Branches / Offices.




(A.K. Pathak)
General Manager- HR